न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : श्री सुरेन्द्रसिंह पुरोहित, आर0ए0एस0

सीलिंग प्रकरण संख्या 40/1983

सरकार बनाम श्री भंवरसिंह पुत्र श्री खुशालसिंह जाति राजपुत निवासी कोटडा तहसील शिव जिला बाडमेर के कायम मुकाम–

1. सवाईसिंह पुत्र भंवरसिंह
2. कूम्पसिंह पुत्र भंवरसिंह

जाति राजपुत निवासी कोटडा तहसील शिव जिला बाडमेर

सीलिंग प्रकरण अन्तर्गत धारा 15 (2) राजस्थान कृषि जोतो पर अधिकतम सीमा अधिरोपण अधिनियम 1973

उपस्थित –

1. श्री रतनाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
2. श्री अमृत जैन, अधिवक्ता अप्रार्थी की ओर से।

निर्णय

दिनांक : 25.07.2023

यह प्रकरण पूर्व में तत्कालिन प्राधिकारी (सहायक कलक्टर) बाडमेर के आदेश दिनाक 29.5.1971 को राज्यहित में उपशासन सचिव, (राजस्व सीलिंग) विभगा राज. के आदेश से नये सीलिंग अधिनिमय की धारा 15 (2) के तहत पुनः खोलने के आदेश से पुनः प्रेषित किये जाने पर दिनाक 28.2.1986 के आदेश से तत्समय के प्राधिकारी अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर) बाडमेर द्वारा निर्णीत किया गया जिसमें विस्तृत विवेचन कर अप्रार्थी भंवरसिंह के धारण की 96.48 स्टें. एकड [illegible] को मानते हुए भंवरसिंह को अपने धारण में सिर्फ 30 स्टे. [illegible] हुए उस भूमि में अधिशेष 66.48 स्टे.एक्ड भूमि अ[illegible] मानते हुए [illegible] किये जाने के आदेश पारित किये गये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Purohit
Date: 2023.08.03 17:19:12 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय अपर कलक्टर सत्यमेव जयते बाड़मेर (राजस्थान)

अपर कलक्टर बाड़मेर (ए.डी.एम.)

इस न्यायालय के आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत पुनरीक्षण की कार्यवाही में माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान ने अपने निर्णय में भंवरसिंह के पुत्र सवाईसिंह का नोशनल शेयर मानते हुए भंवरसिंह की अधिशेष भूमि में 32.16 स्टे.एकड़ भूमि कम करते हुए शेष भूमि अधिग्रहण किये जाने के आदेश पारित कर आदेश दिनांक 28.2.1986 को संशोधित किया गया ।

माननीय राजस्व मण्डल राज. के आदेश के विरूद्ध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में प्रस्तुत रिट याचिका एस बी रिट पिटीशन नम्बर 1214/92 में पारित आदेश दिनांक 27.04.2005 में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा भंवरसिंह के पुत्र कूंपसिंह के विषय में अप्रार्थी के परिवार के बिन्दू को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 30 में दी परिभाषा के संदर्भ में निस्तारित करने के निर्देश पारित किये गये जिसके विरूद्ध राज्य की ओर से उच्च न्यायालय की खण्डपीठ में अपील की गई लेकिन वह अपील राज्य द्वारा नोट प्रेस किये जाने पर दिनाक 20.11.2013 को खारिज की गई । माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश मे दिये गये निर्देशो की पालना में उस न्यायालय द्वारा प्रकरण पुनः दर्ज कर सुनवाई की गई ।

अप्रार्थी की ओर से माननीय राजस्व मण्डल एवं राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेशो को संदर्भित करते हुए भंवरसिंह के वंशज कुंपसिंह द्वारा कुटुम्ब के संबंध में अपनी अलग ईकाई होने के संबंध में जवाब/प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया ।

राजकीय अधिवक्ता एवं अप्रार्थी के अधिवक्ता की बहस सुनी गई । राजकीय अधिवक्ता द्वारा राजस्व मण्डल के निष्कर्ष के तथ्य को दोहराते हुए निवेदन किया कि माननीय राजस्व मण्डल द्वारा भंवरसिंह के पुत्र सवाईसिंह जो तत्समय व्यस्क एवं अपने पिता से अलग रहता मानते हुए उनके धारण योग्य अधिकतम जोत सीमा 32.16 स्टे.एकड के समान भूमि मान्य करने के पश्चात् अव्यस्क कुंपसिह को फैमिली सेटलमेन्ट में दी गई भूमि को अव्यस्कता के कारण अमान्य किया जावें तथा उन्होंने यह भी [illegible] कि कुंपसिंह के अपने पिता से अलग रहने बाबत् किसी [illegible] के अभाव में कुंपसिंह को अलग ईकाई माना जाना न्यायोचित नहीं है । अव्यस्क कुंपसिंह कुटुम्ब की परिभाषा में सम्मिलित नहीं किया जा सकता इसलिए कुंपसिंह के [illegible] योग्य अलग से नहीं मानी जानी

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Purohit
Date: 2023.08.03 17:19:12 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय अपर कलक्टर
सत्यमेव जयते
बाड़मेर (राजस्थान)

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

चाहिये । इस प्रकरण में सवाईसिंह के धारण योग्य भूमि कम करके अधिशेष रही 32.16 स्टे.एकड रही भूमि अधिग्रहण किये जाने के आदेश पारित किये जावें ।

राजकीय अधिवक्ता के तर्क का जवाब देते हुए अप्रार्थीगण के अधिवक्ता ने इस न्यायालय का ध्यान माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनाक 29.7.1991 की ओर आकर्षित करते हुए निवेदन किया कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 30 में दिये गये प्रावधानो के तहत कुंपसिंह की अलग ईकाई मानी जाना न्यायिक दृष्टि से अपेक्षित है । माननीय राजस्व मण्डल के कुंपसिंह को ईकाई नहीं मानी जाने के विरूद्व माननीय उच्च न्यायालय ने कुटुम्ब के संबंध में दिये गये प्रावधानो के तहत कुंपसिंह के मामले में पुनः निर्णय किये जाने के निर्देश इस न्यायालय को दिये गये । अप्रार्थी की ओर से आर एल आर 1985 पेज 557 एवं आर एल आर 1985 पेज संख्या 822 में प्रतिपादित न्यायिक दृष्टांतो के आधार पर कुंपसिंह के व्यस्क होने के दो माह कम हाने पर भी कुटुम्ब के संबंध में निर्णय व्यस्कता के बजाय कुंपसिह के पिता से अलग रहने के आधार पर किया जाना न्यायिक दृष्टि से अपेक्षित है । कुंपसिह द्वारा अपने पिता से अलग रहने का कथन अपने सशपथ बयानो में किया गया है जिसका खण्डन प्रार्थी सरकार की ओर से नहीं किया जा सका इसलिए साक्ष्य को नहीं माने जाने का कोई कारण नहीं है। निर्विवाद रूप से वादग्रस्त भूमि अप्रार्थी के अविभक्त हिन्दू परिवार की भूमि है तथा भंवरसिंह के पुत्र के नाते कुंपसिंह सहदायिक है तथा पैतृक सम्पति में नोशनल शेयर प्राप्त करने का अधिकारी है उससे उसको वंचित नहीं किया जा सकता । हमने प्रार्थी के पुत्र कुंपसिंह के प्रतिवेदन का माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशो के संबंध में गम्भीरता पूर्वक अध्ययन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन कर उभय पक्षो एवं तर्क एवं संदर्भित विधि पर मनन किया गया ।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धरा 30 ख(क) में कुटुम्ब की परिभाषा निम्न अनुसार बताई हुई है

''कुटुम्ब से पति और पत्नी तथा उस [illegible] उनकी संतानो पौत्र– पौत्रियों की इस प्रकार आश्रित वि[illegible] से गठित [illegible] अभिप्रेत है '' ।

इस परिभाषा के अनुसार [illegible] के परिवार में भंवरसिंह एवं उसके दो जायन्दा पुत्र सवाईसिंह एवं कूंपसिंह के [illegible]ार माने जायेंगे । माननीय उच्च न्यायालय ने कूंपसिंह के संबंध में पुनः कुटुम्ब की परिभाषा के संदर्भ में निर्णीत

न्यायालय अपर कलक्टर
सत्यमेव जयते
बाड़मेर (राजस्थान)

अपर कलक्टर बाड़मेर
(प्र.डी.एम.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Purohit
Date: 2023.08.03 17:19:12 IST
Reason: SelfAttested

करने के निर्देश दिये है । कूंपसिंह ने अपनी साक्ष्य में दिनांक 1.4.1966 को अपनी आयु 18 वर्ष से 2 माह कम होना बताया है तथा अपने पिता भंवरसिंह से अलग रहना बताया है। भंवरसिंह द्वारा फैमिली सेटलमेन्ट में कूंपसिंह को 549.08 बीधा भूमि दिये जाने का तथ्य फैमिली सेटलमेन्ट से स्पष्ट है । कूंपसिहं तत्समय भंवरसिंह के साथ रहता हो, ऐसी साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। कूंपसिंह के अधिवक्ता ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत 1985 आर एल आर 557 में प्रतिपादित सिद्वान्त की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित कर निवेदन किया कि अव्यस्क पुत्र पिता से अलग रहता है तो उसे पिता के साथ नहीं जोडा जाना चाहिये । इसी तरह 1985 आर एल आर 822 में दिये न्याय दृष्टांत के अनुसार परिवार के सदस्यो का निर्णय व्यस्कता या अव्यस्कता के आधर पर नहीं बल्कि उनके साथ रहने अथवा नही रहने के आधार पर किया जाना चाहिये । इसके अतिरिक्त अविभक्त हिन्दू परिवार के सदस्य के रूप में भी कूंपसिंह को नोशनल शेयर से वंचित नही किया जा सकता है तथा नोशनल शेयर के अनुसर सहदायिक के रूप में कूंपसिह को फैमिली सेटलमेन्ट में अर्थात बंटवाडा में दी भूमि को मान्य किये जाने का भी अप्रार्थी की ओर से निवेदन किया गया ।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 30 ग व (घ) (ध) में अधिकतम जोत सीमा क्षेत्र अवधारित करने के प्रयोजनार्थ प्रावधन दिया गया है । इस प्रकरण में भी भंवरसिंह द्वारा दिनांक 25.5.1964 को पारिवारिक बंटवाडे में कूंपसिंह को 598.08 बीगा भूमि दी गई है । अधिनियम की धारा 30 (ध) के अनुसार 25.5.1964 के बंटवाडे को विधिमान्य किया जाना न्याय संगत प्रतीत होता है ।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने अधिनियम की धारा 30 (घ) (ध) की ओर ध्यान आकर्षित कर इस प्रावधान के अनुसार प्रकरण निर्णीत करने का निवेदन किया हैं तथा धारा 30 (घ) (ध) में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी किसी व्यक्ति के बारे में धारा 30 ग के अधीन अधिकतम [illegible] अवधारित करने के प्रयोजनार्थ – (1) 31 दिसम्बर 1969 [illegible] राजस्थान में अधिशासित कृषक के पक्ष में या कृषि व्यवसाय [illegible] वाले और व्यक्तिगत रूप से खेती करने में समर्थ और उक्त तारीख [illegible] उससे पूर्व व्यस्क हो जाने वाले पुत्र अथवा भ्राता के पक्ष में किये गये 30 मानक एकड से अधिक भूमि के प्रत्येक

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Purohit
Date: 2023.08.03 17:19:12 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर बाड़मेर (ए.डी.एम.)

अंतरण और राजस्थान अभिधृति(द्वितीय संशोधन) अधिनियम 1970 के प्रारम्भ से पूर्व यथा विधमान धारा 30 य की उपधारा (1) के खण्ड (क) (ख) (ध) और (ड) में निर्दिष्ट स्वरूप के बागो या कार्यो की भूमि जो 1 मई 1959 से पूर्व अर्जित की गई हो, के किसी व्यक्ति द्वारा उसके ऐसे पुत्र अथवा भ्राता के पक्ष में जो खण्ड (1) में उल्लेखित शर्तो को पूरा करता हो, उपर्युत सीमा तक 1 जुन 1970 से पूर्व किये प्रत्येक अन्तरण को मान्यता दी जायेगी ।

उपरोक्त विवेचन के अनुसार न्यायालय की विनम्र राय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 30 में दी गई कुटुम्ब की परिभाषा, धारा 30(घ) एवं 30 (ध) (घ) के प्रावधानो एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित संदर्भित न्याय दृष्टांतो के अनुसार कूंपसिंह की अलग ईकाई मानकर इसको फैमिली सेटलमेन्ट में दी गई भूमि को मान्यता दिया जाना न्याय संगत है । लिहाजा अप्रार्थी भंवरसिंह के धारण की पूर्व में निर्धारित 96.48 स्टे. एकड बराबर भूमि में भंवरसिंह, उनके पुत्र सवाईसिंह एवं कूंपसिंह तीनो के परिवारो की युनिट अनुसार 32.16 स्टे एकड प्रत्येक को भूमि धारण में दिये जाने पर अधिकतम जोत सीमा से अधिक भूमि अवशेष नहीं रहती है। भंवरसिंह एवं दोनो पुत्रों, प्रत्येक को 32.16 स्टे एकड बराबर भूमि दिये जाने पर तीनो की कुल धारण योग्य भूमि 96.48 स्टै0 एकड ही होती है इसलिए भंवरसिंह, सवाईसिंह एवं कूंपसिंह के तीनो परिवारो के पास अधिकतम जोत सीमा से अधिक भूमि नहीं रहने से इस प्रकरण में किसी प्रकार की कार्यवाही किया जाना अपेक्षित नहीं है अतः यह प्रकरण ड्राप किया जाता है ।

यह निर्णय आज दिनांक 25.07.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(सुरेन्द्रसिंह पुरोहित)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाडमेर

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

न्यायालय अपर कलक्टर
सत्यमेव जयते
बाड़मेर (राजस्थान)

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Purohit
Date: 2023.08.03 17:19:12 IST
Reason: SelfAttested